FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान बहादुर बनाम चौथूराम वगैरह

किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं० 125 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
11/10/17	वकील वादी श्री भंवर सिंह चौधरी ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 09-11-2017 को पेश हो।	4657-65 / 11-10-2017
	07/11/17 वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी से तलब की जाकर आज पेश हुई। वकील वादी ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत विड्रा किये जाने दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है तथा वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। अत: प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर नया वाद लाने की अनुमति प्रदान करते हुए दावा विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान करे। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर तदनुसार नया वाद लाने की अनुमति प्रदान करते हुए दावा विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अत: कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर	

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला